'Gratuity Amended 2003'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 3, 2003/ज्येष्ठ 13, 1925
No. 89] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 2003/JYAISTHA 13, 1925

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

अधिसूचना

लखनऊ, 14 मई, 2003

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारियों को उपदान का संदाय) [संशोधन] विनियम, 2003

सं. एचआरडीडी सं. 101/स्टाफ/जन. (2).—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारियों को उपदान का संदाय) विनियम, 2002 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारियों को उपदान का संदाय) [संशोधन] विनियम, 2003 कहा जाएगा ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारियों को उपदान का संदाय) विनियम, 2002 (जिन्हें एतद् पश्चात 'प्रमुख विनियम' निर्दिष्ट किया जाएगा) के विनियम 3 में उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित को उपधारा (1क) के रूप में शामिल किया जाएगा, अर्थात् --

"1(क) सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारी के संबंध में 'प्रत्याशित सेवा' से वह सेवा अभिप्रेत है, जो सेवानिवृत्ति की तिथि तक जीवित रहने पर उसने लघु उद्योग बैंक में पूरी की होती ।"

3. प्रमुख विनियम 3 की उप धारा (3) के बदले निम्नलिखित को रखा जाएगा --

"(3) 'निधि' से अप्रतिसंहरणीय न्यास के अन्तर्गत गठित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी उपदान निधि अभिप्रेत है ।"

4. प्रमुख विनियमों के विनियम 3 में उप-विनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम (7क) शामिल किया जाएगा, अर्थात् --

"(7 क) 'न्यासियों' से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी उपदान निधि के न्यासी अभिप्रेत है।"

5. प्रमुख विनियमों के विनियम 6(1), 6(1)(क) तथा 6(1)(ख) के बदले निम्नलिखित विनियम रखे जाएंगे, अर्थात् --

"6(1) विनियम 5 के उपबंधों की किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कर्मचारी अथवा सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारी को स्वीकार्य उपदान राशि निम्नानुसार होगी--

6(1)(क) लघु उद्योग बैंक की सेवा में पूरे किए गए अथवा प्रत्याशित सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने के वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर की राशि (अथवा 6 महीने से अधिक के लिए उसका हिस्सा) सेवा के प्रथम 24 वर्षों हेतु, परन्तु अधिकतम बीस महीने का वेतन और महंगाई भत्ता या 3,15,000/- रुपए या दोनों में से जो भी कम हो;

"6(1)(ख) लघु उद्योग बैंक में 24 वर्ष से अधिक की सेवा अथवा प्रत्याशित सेवा होने पर प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए अथवा प्रत्याशित सेवा के लिए आधे महीने के वेतन तथा महंगाई भत्ते के बराबर अतिरिक्त राशि (अथवा 6 महीने से अधिक की सेवा अथवा प्रत्याशित सेवा के लिए उसका एक हिस्सा);

6. प्रमुख विनियमों के विनियम 9 में, प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा--

"परन्तु यह और कि सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारी के मामले में, वास्तविक सेवा तथा प्रत्याशित सेवा के आधार पर स्वीकार्य उपदान की अन्तर राशि पर देय आयकर तथा अधिकर, यदि कोई हो, का वहन इन विनियमों के विनियम 8 में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार से किया जाएगा, जो लघु उद्योग बैंक द्वारा विनिश्चित किया जाए तथा उन व्यक्तियों को देय उपदान की राशि से काट लिया जाएगा।"

7. प्रमुख विनियमों के विनियम 10 में दिए गए शब्दों "लघु उद्योग बैंक में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी उपदान निधि नामक एक निधि रहेगी तथा उसमें जमा राशि होगी" के बदले निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे --

"10. लघु उद्योग बैंक अप्रतिसंहरणीय न्यास के अन्तर्गत एक निधि स्थापित करेगा, जिसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी उपदान निधि कहा जाएगा तथा उसमें जमाराशियाँ रखी जाएंगी --"

8. प्रमुख विनियमों के विनियम 10 में उप विनियम (ग) के पश्चात् निम्नांकित उप विनियम (ङ) जोड़ा जाएगा :

"10(ङ) निदेशक मण्डल अथवा न्यासियों द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक उपदान योजना में निधि का निवेश करने की तिथि को अथवा उसके पश्चात्, लघु उद्योग बैंक को इस विनियम की धारा (ग) अथवा धारा (घ) के अनुसार निधि में आगे कोई अंशदान करना अपेक्षित नहीं होगा।"

9. प्रमुख विनियमों के विनियम 11 के बदले निम्नलिखित विनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"11(1) कर्मचारी तथा उसके परिवार के लाभार्थ, लघु उद्योग बैंक द्वारा न्यास विलेख के अधीन नियुक्त न्यासियों द्वारा निधि धारित तथा नियंत्रित की जाएगी।

11(2) निदेशक मण्डल अथवा न्यासी, निधि में से पर्याप्त राशि इन विनियमों के अन्तर्गत अपने अदायगी दायित्व के निर्वहन हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित एक निगम है, की सामूहिक उपदान योजना में अथवा ऐसी किसी योजना में अथवा आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निवेश करेंगे तथा निधि की बकाया राशि को लघु उद्योग बैंक को अंतरित कर देंगे।"

10. प्रमुख विनियमों का विनियम 12 हटा दिया जाएगा।

11. प्रमुख विनियमों का विनियम 14 हटा दिया जाएगा।

एन. बालासुब्रमणियन, उप प्रबंध निदेशक

[विज्ञापन III/IV/39-ए/2003/असा.]

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Lucknow, the 14th May, 2003

The Small Industries Development Bank of India (Payment of Gratuity to Employees) [Amendment] Regulations, 2003

No. HRDD No. 101/Staff. Gen. (2).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989) the Board of Directors of Small Industries Development Bank of India hereby makes the following amendments to the Small Industries Development Bank of India (Payment of Gratuity to Employees) Regulations, 2002, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Small Industries Development Bank of India (Payment of Gratuity to Employees) [Amendment] Regulations, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Regulation 3 of the Small Industries Development Bank of India (Payment of Gratuity to Employees) Regulations, 2002 (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations') after Sub-Regulation (1), the following shall be inserted as Sub-Regulation (1A) namely :-

"(1A) 'anticipated service' means in relation to an employee who dies while in service, the service he would have completed in the Small Industries Bank, had he lived upto the date of his retirement."

3. Sub- Regulation (3) of the Principal Regulation 3 shall be substituted with the following:

"(3) 'Fund' means the Small Industries Development Bank of India Employees' Gratuity Fund constituted under an irrevocable trust"

4. In Regulation 3 of the Principal Regulations, after Sub-Regulation (7), the following Sub-Regulation (7A) shall be inserted, namely :-

"(7A) 'Trustees' means the Trustees of the Small Industries Development Bank of India Employees' Gratuity Fund."

5. For Regulation 6(1), 6(1)(a) and 6(1)(b) of the Principal Regulations, the following Regulation shall be substituted namely :

"6(1) Without prejudice to the provisions of Regulation 5, the amount of gratuity admissible to an employee or in respect of an employee who dies while in service shall be -

6(1)(a) a sum equal to one month's pay plus dearness allowance for each completed year of service or anticipated service in the Small Industries Bank or part thereof in excess of 6 months subject to a maximum of twenty months' pay or Rs.3,15,000/- whichever is less for first 24 years of service;

6(1)(b) an additional sum equivalent to half months pay plus dearness allowance for each completed year of service or anticipated service in the Small Industries Bank or part thereof in excess of 6 months for service or anticipated service in excess of 24 years."

IndiaCode

6. In Regulation 9 of the Principal Regulations, after first proviso, the following proviso shall be added :

" Provided further that in case of an employee who dies while in service, income tax and super tax, if any, payable on the difference in the amount of gratuity admissible on the basis of actual service and anticipated service shall be borne by the persons referred to in Regulation 8 of these Regulations in such a manner as may be decided by the Small Industries Bank and shall be deducted from the amount of gratuity payable to such persons. "

7. In Regulation 10 of the Principal Regulations, for the words "The Small Industries Bank shall have a fund to be called the Small Industries Development Bank of India Employees' Gratuity Fund and there shall be credited thereto, the following words shall be substituted :

"10. The Small Industries Bank shall establish a fund to be called the Small Industries Development Bank of India Employees' Gratuity Fund under an irrevocable Trust and there shall be credited thereto--"

8. In Regulation 10 of the Principal Regulations, after Sub-Regulation (d), the following Sub-Regulation (e) shall be added :

"10(e). On and after the date of the Board or the Trustees investing the Fund in Group Gratuity Scheme of the Life Insurance Corporation of India, the Small Industries Bank shall not be required to make any further contributions to the Fund in terms of clause (c) or clause (d) of this Regulation.

9. For Regulation 11 of the Principal Regulations, the following Regulations shall be substituted, namely :

"11(1). The Fund shall be held and administered by the Trustees appointed by the Small Industries Bank under a Deed of Trust for the benefit of the employee or his family.

11(2). The Board or the Trustees shall invest from out of the Fund an amount sufficient to discharge its payment liability under these Regulations in the Group Gratuity Scheme of the Life Insurance Corporation of India, a Corporation established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 or such other scheme or manner in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Rules made thereunder, and transfer the balance amount in the Fund to the Small Industries Bank."

10. Regulation 12 of the Principal Regulation shall be deleted.

11. Regulation 14 of the Principal Regulation shall be deleted.

N. BALASUBRAMANIAN, Dy. Managing Director

[ADVT III/IV/39-A/2003/Extty]

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.